

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/पदौ/नर्स-1/एफ-144/18/

दिनांक:

संशोधन-आदेश

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर के आदेश क्रमांक- नर्सिंग/पदौ/नर्स-1/एफ-144/18/176 दिनांक 07.09.18 द्वारा जारी नर्स श्रेणी प्रथम की पदस्थापन सूची में अंकित निम्न कार्मिकों की कार्यग्रहण अवधि में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अभिवृद्धि की जाती है:-

| क्रसं | नाम कार्मिक | आदेश क्रम संख्या | नर्स प्रथम पद पर कार्यग्रहण हेतु समय अभिवृद्धि |
|-------|-----------------------|------------------|---|
| 1. | नरेश लामोरिया | 292 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 2. | मुकेश कुमार गर्ग | 423 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 3. | किरण कण्डारा | 625 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 4. | श्याम सुन्दर गोस्वामी | 377 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 5. | दीपमाला | 650 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 6. | घनश्याम मीना | 505 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 7. | बृजमोहन माली | 691 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 8. | रामस्वरूप वर्मा | 663 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 9. | प्यारेलाल पिलानिया | 310 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 31.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 10. | पृथ्वीराज | 541 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 31.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |
| 11. | तनुजा सोलंकी | 603 | कार्मिक की कार्यग्रहण अवधि दिनांक 31.10.2018 तक बढ़ायी जाती है। |

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 01/10/18

क्रमांक: नर्सिंग/पदौ/नर्स-1/एफ-144/18/ 202

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चि० एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
4. उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० (ग्रुप 3) विभाग, राज० जयपुर।
5. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर